<u>न्यायालय सिविल जज(वरीय कोटि)–III, कहलगॉव, भागलपुर</u>

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

<u>दीवानी वाद संख्या–38/2022</u>

प्रमेश्वर मंडल व अन्य..(वादीगण)

बनाम

विजय मंडल व अन्य..(प्रतिवादीगण)

<u>आदेश</u>

12.08.2025:–

वादी, प्रतिवादी संख्या 02 एवं हस्तक्षेपक की पैरवी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर हस्तक्षेपक प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 U/s 151 cpc दिनांक 01.07.2025 को प्रचालित किया गया। हस्तक्षेपक प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के हस्तक्षेपक प्रतिवादी संख्या 04 सुबोध यादव की मृत्यु दिनांक 15.05.2025 को हो गयी है जो अपने पीछे पत्नी यशोधा देवी, दो पुत्र मिथुन कुमार एवं शत्रुधन कुमार साथ ही पुत्री गुंजन कुमारी को छोड कर गये है। वाद मे उचित न्यायनिर्णयन के लिए हस्तक्षेपक प्रतिवादी सं0 04 के उतराधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः न्यायहित मे हस्तक्षेपक प्रतिवादी सं0 04 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। हस्तक्षेपक प्रतिवादी के आवेदन पर वादी की ओर से No Objection अंकित किया गया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है साथ ही समय सीमा के अंदर है। वाद की समुचित विनिश्चयन एवं वाद के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 01.07.2025 को **स्वीकृत** किया जाता है।

कार्यालय ससमय आवेदनानुसार मृतक हस्तक्षेपक प्रतिवादी सं0 04 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक 27.08.2025 वास्ते वादी हस्तक्षेपक प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसानों की उपस्थिति हेतु नोटिस की अपेक्षिताऐं दोनो माध्यम से दाखिल करें।

सिविल जज(वरीय कोटि)-III
कहलगॉव(भागलपुर)